डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उप जिला कलक्टर टोडाभीम

बइजलास दुर्गा प्रसाद मीना (आर.ए.एस)

उनवान

1. प्रेम पुत्र रामसहाय
2. गजेन्द्र पुत्र मल्के
3. रामखिलाडी पुत्र मल्के
4. अमरसिह पुत्र मल्के

समस्त जाति गूर्जर निवासी महमदपुर तहसील टोडाभीम।

वादीगण

बनाम

1. सवाई सिंह पुत्र हरचरण
2. निहालसिंह पुत्र हरचरण
3. प्रेम पत्नि हरचरण (मृतक)
4. सुनीता पुत्री हरचरण
5. गीता पुत्री हरचरण
6. सुमेर पुत्र किशोरीलाल
7. भूपेन्द्र पुत्र किशोरीलाल
8. उगा पत्नि किशोरीलाल

समस्त जाति गूर्जर निवासी महमदपुर तहसील टोडाभीम।

9. तहसीलदार टोडाभीम।
10. उप पंजीयक टोडाभीम।

प्रतिवादी गण

दावा बाबत इस्तकरारहक एवं स्थायी निषेधाज्ञा

मु0न0 27/14

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबई श्री रामभरोसी गुप्ता एडवोकेट मिनकानिब गुदई रूबरू ..... हमारे मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है। कि

अतः वादीगण का यह दावा बावत इस्तकरारहक एवं स्थायी निषेधाज्ञा पर्याप्त साक्ष्य सबूत के अभाव मे खारिज किया जाता है।

निज.....मुबलिंग.....बाबत.....खर्चा इस मुकदमे के मय शूद बशरह.....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक.....अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 22.10.2019 को जारी की गई।

22/10/19

दस्तखत...उपजिला कलक्टर

ओहदा.....टोडाभीम (करौली)

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकाल नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बावत इजराय हुक्मनामा		
बवत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					

Scanned by CamScanner

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

मु0न0 27/14

तारीख रजू:– 22.5.14

पीठासीन अधिकारी:– दुर्गा प्रसाद मीना आर.ए.एस.

उनवान

1. प्रेम पुत्र रामसहाय
2. गजेन्द्र पुत्र मल्के
3. रामखिलाडी पुत्र मल्के
4. अमरसिह पुत्र मल्के

समस्त जाति गूर्जर निवासी महमदपुर तहसील टोडाभीम।

वादीगण

बनाम

1. सवाई सिंह पुत्र हरचरण
2. निहालसिंह पुत्र हरचरण
3. प्रेम पत्नि हरचरण (मृतक)
4. सुनीता पुत्री हरचरण
5. गीता पुत्री हरचरण
6. सुमेर पुत्र किशोरीलाल
7. भूपेन्द्र पुत्र किशोरीलाल
8. उगा पत्नि किशोरीलाल

समस्त जाति गूर्जर निवासी महमदपुर तहसील टोडाभीम।

9. तहसीलदार टोडाभीम।
10. उप पंजीयक टोडाभीम।

प्रतिवादी गण

उपस्थिति :–1. रामभरोसी गुप्ता एडवोकेट (वादीगण)

निर्णय दिनांक:– 22.10.2019

संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि भूमि ख0न0 86/1825 रकवा 0.03, 151/0.20, 152/0.18, 158/0.11, 159/0.32, 164/1840/0.14, 805/1.29 कुल किता 7 रकवा 2.27 है0 ग्राम महमदपुर मे हिस्सा 1/3 की खातेदारी प्रतिवादीगण 1 ता 8 के नाम है। कमोद लाऔलाद फौत हो चुका है। उसके खास भाई हरचरण किशोरी लाल की औलाद ही वारिस है। इसलिये वादपत्र मे कमोद सिंह के स्थान पर उसके वारिसान पक्षकार बनाये गये है। उक्त भूमि के साबिक ख0न0 45, 55, 143, 4/3 है। रंगे के तीन पुत्र कमोद सिह , किशोरी व हरचरण है हरचरण की मृत्यु हो चुकी है। कमोद सिंह लाऔलाद फौत हुआ है जिनके वारिस प्रतिवादी न0 1 ता 8 है। उक्त व्यक्तियो के नाम विरासत के आधार पर खातेदारी हुई है।

प्रतिवादी के बुजुर्ग कमोदसिंह, किशोरी , हरचरण चालाक किस्म के व्यक्ति थे। वादी के पिता रामसहाय सीधा–साधा अनपढ था, मात्र निशानी करना जानता था।

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

उक्त व्यक्ति रामसहाय से रंजिश रखते थे। उसकी जमीन जायदाद छीनना चाहते थे। योजना के तहत उक्त व्यक्ति रामसहाय को तहसील टोडाभीम मे यह कहते हुये ले गये कि तहसील मे तुम्हे सहायता दिलवादेते है, तुम कमजोर आदमी हो तब वादी के पिता से घोखा देकर विवादित भूमि का एक विक्रय पत्र दिनांक 1.12.1982 को लिखवादिया था। जबकि वादी को इस विक्रय पत्र के संबध मे कोई जानकारी नही थी। 15 दिवस बाद उक्त व्यक्तियो ने वादी के पिता रामसहाय से कहा कि तुम इस जमीन पर आना–जाना छोड दो हमने इस भूमि की रजिस्ट्री अपने नाम करवाली है। घोखाधडी व फर्जी कार्य को सुनकर रामसहाय दुखी हुआ, तुमने मेरे साथ धोखा क्यो किया तब उन्हौने गलती स्वीकार करते हुये रामसहाय के हक मे दिनांक 18.12.1982 को पाच रूपये के स्टाम्प पर इकरारनामा लिख दिया कि जो विक्रय पत्र दिनांक 1.12.1982 को लिखा गया है उसकी रजिस्ट्री वापिस रामसहाय के नाम पर या प्रेम व पूरण के नाम पर करवादी जावेगी। इकरारनामा पर किशोरी, हरचरण ने अपनी निशानी की है, व कमोदसिंह ने अपने हस्ताक्षर किये है। गॉव की पंचायत दिनांक 20.09.1983 मे निर्णय हुआ कि जो विक्रय पत्र दिनांक 1.12.1982 को रामसहाय द्वारा रजिस्ट्री करवाई गई उस संबध मे 19800/–रू0 पंचो की मौजूदगी मे वादीगण के बुजुर्गो ने हरचरण, कमोद, किशोरी को वापिस दे दिये। कब्जा वादीगण के बुजुर्गो का ही रहेगा। इकरारनामा पर सभी पक्षो ने एवं पंचो ने अपने–अपने हस्ताक्षर निशानी किये तत्कालीन ग्राम पंचायत महमदपुर के सरपंच ने तस्दीक किया। इस प्रकार विक्रय पत्र दिनांक 1.12.1982 कानूनन कोई महत्व नही रखता है। दिनांक 1.12.1982 से लगातार वादीगण के बुजुर्गो का कब्जा रहा है। उनकी मृत्यु के बाद वादीगण का कब्जा रहा है। लॉगटर्म पजेशन के आधार पर कानूनन खातेदार काश्तकार हो गये है वादीगण विवादित भूमि के 1/3 हिस्सा जो प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है, उसकी खातेदारी अपने नाम कराने के हकदार है। बकिया हिस्सा 2/3 के वादीगण के रिकार्डेड खातेदार है।

प्रतिवादीगण अपने नाम दर्ज खातेदारी का नाजायज फायदा उठाना चाहते है। प्रतिवादीगण ने खातेदारी वादीगण के नाम कराने से इन्कार करने के कारण तथा वादीगण को भूमि से बेदखल करने व रहन विक्रय करने की धमकी देने के कारण यह दावा पेश करना आवश्यक हुआ है।

अतः दावा वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण 1 ता 8 बावत घोषणा खातेदारी डिक्री किया जाकर भूमि ख0न0 86/1825 रकवा 0.03, 151/0.20, 152/0.18, 158/0.11, 159/0.32, 164/1840/0.14, 805/1.29 कुल किता 7 रकवा 2.27 है0 ग्राम महमदपुर मे हिस्सा 1/3 का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वादीगण के कब्जेकाश्त मे किसी प्रकार की रूकावट पैदा नही करे, शांति पूर्वक काश्त करने देवे। तथा किसी व्यक्ति पर रहन व्यय नही करे। प्रतिवादी न0 9 को रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने तथा प्रतिवादी न0 10 को किसी प्रकार का दस्तावेज पंजीयन नही करने हेतु पाबन्द किया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी न0 3, 6 ता 10 के बावजूद सूचना उपस्थित नही होने के कारण इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की गई प्रतिवादी न0 1,2,4,5, की और से श्री हंसराम गूर्जर एडवोकेट ने उपस्थित होकर जवाब पेश किया कि विवादित आराजीयात से

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

कार्यालय उपजिला कलेक्टर टोडाभीम (करौली) राज.

Scanned by CamScanner

सबंधित विकय पत्र दिनांक 1.12.1982 सही एवं वैध रजिस्टर्ड पंजीबद्व हुआ है। वादीगण के पिता रामसहाय सीधा साधा व्यक्ति नही होकर चतुर व्यक्ति था, रजिस्ट्री होने के करीब 15 दिन बाद प्रतिवादीगण के बुजुर्ग किशोरी, हरचरण कमोद के पास आया और कहा कि मै तुम्हारी रजिस्ट्री का नामांतकरण पटवारी से खुलवा देता हूँ और असल रजिस्ट्री ले गया और रजिस्ट्री पर जो लिखा पढी की है और जो स्टाम्प 1.12.1982 को लिखा है वह बिल्कुल फर्जी है। यदि यह रजिस्ट्री गलत हुई तो वादीगण रजिस्ट्री निरस्त करवाने हेतु सक्षम न्यायालय उसी समय कानूनी कार्यवाही करते। वादीगण के यह सारी फर्जकारी एक योजना के तहत की है तथा वादपत्र मे समस्त बाते मनगढंत व गलत दर्ज की है। यदि वादीगण दिनांक 1.12.1982 को हुई रजिस्ट्री को निरस्त करवाना चाहते है तो उसका क्षेत्राधिकारी माननीय न्यायालय को नही होकर सिविल न्यायालय को है इसलिये वादीगण का दावा मेनटेबिल नही है खारिज योग्य है। उक्त वर्णित आराजीयात के संबध मे घोषणा खातेदारी व स्थायी निषेधाज्ञा मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा उनवानी गजेन्द्र बनाम कमोद माननीय न्यायालय मे दिनांक 15.10.2013 को पेश किया था। जो दिनांक 5.6.2014 को खारिज हो चुका है इसलिये वादीगण का यह वादपत्र चलने योग्य नही होकर खारिज योग्य है। इस वादपत्र मे गजेन्द्र ने प्रतिवादीगण की इस आराजी मे कोई क्लेम भी नही किया था। वादीगण के वादपत्र मे कोई सत्यता होती तो इस बावत वादपत्र मे क्लेम किया होता। वादीगण ने यह दावा गलत तथ्यो के आधार पर प्रस्तुत किया है जो मेनटेबिल नही है वादीगण का दावा खारिज फरमाया जावे।

प्रकरण मे निम्न प्रकार तनकीयात कायम की गईः—

1. आया वादपत्र मे मद न0 1 मे वर्णित आराजीयात मे हिस्सा 1/3 की खातेदारी प्रतिवादीगण 1 ता 8 के नाम है प्रतिवादी के बजुर्ग कमोदसिंह, किशोरी व हरचरण ने वादी के पिता से अनपढ होने का फायदा उठाकर दिनांक 1.12.1982 को विकय पत्र करालिया बाद मे दिनांक 18.12.1982 को इस विकय पत्र को खारिज करने का इकरारनामा हो चुका है। इस आधार पर प्रतिवादीगण के नाम दर्ज खातेदारी हिस्सा 1/3 की खातेदारी वादीगण अपने नाम कराने के हकदार है।

(जिम्मेवादी)

2. आया यह है कि कब्जेकाश्त की भूमि मे व्यवधान उत्पन्न नही करने के लिये प्रतिवादीगण को पाबन्द कराने का हक है।

(जिम्मेवादी)

3. आया यह है कि दिनांक 1.12.1982 को पंजीबद्व दस्तावेज विकयपत्र सही है जिसे निरस्त करने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नही होकर सिविल न्यायालय को प्राप्त है वादी का दावा चलने योग्य नही है खारिज योग्य है।

(जिम्मे प्रतिवादी)

4. आया यह है कि वादीगण ने यह दावा गलत तथ्यो के आधार पर सही तथ्यो को छिपाकर पेश किया है इसलिये दावा वादीगण खारिज योग्य है।

(जिम्मे प्रतिवादी)

वादी की ओर से वादपत्र के समर्थन मे अमरसिह का शपथ पत्र प्रस्तुत किया। प्रतिवादी गण एवं उनके वकील के उपस्थित नही होने के कारण दिनांक 11.7.2019 को एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

वादी वकील ने अन्य कोई किसी प्रकार की साक्ष्य प्रस्तुत नही कर सीधे बहस करने का कथन किया। वादी वकील ने वादपत्र मे वर्णित तथ्यो को ही दोहराते हुये दावा डिक्री करने का कथन किया। वादी वकील की बहस पर मनन किया पत्रावली का अवलोकन किया।

तनकीवार निर्णय इस प्रकार है:-

तनकी न0 1:- वादी की ओर से वादपत्र के साथ ग्राम महमदपुर की नकल जमाबन्दी सम्वत 2070-73 खाता संख्या 7 मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2043-62 नकल जमाबन्दी सम्वत 2032-35 खाता संख्या 177 नकल जमाबन्दी सम्वत 2036-39 खाता संख्या 168, विक्रय पत्र तारीखी 1.12.1982, इकरारनामा दिनांक 20.9.1983 प्रस्तुत किये है। विक्रय पत्र उप पंजीयक कार्यालय टोडाभीम मे दिनांक 1.12.1982 को पंजीबद्व हुआ है। वर्तमान रिकार्ड मे खातेदारी प्रतिवादीगण 1 ता 8 के नाम हिस्सा 1/3 दर्ज रिकार्ड है। वादीगण द्वारा वादपत्र के समर्थन मे शपथ पत्र के अलावा अन्य किसी प्रकार के साक्ष्य, गवाहान पेश नही किये है। इकरारनामा जो प्रस्तुत किया है उसके आधार पर कानूनन खातेदारी अधिकार नही दिये जा सकते है। इस प्रकार यह तनकी बखिलाफ वादी निर्णित की जाती है।

तनकी न0 2:- तनकी न0 1 वादीगण के पक्ष मे निर्णित नही होने से प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित नही होने से यह तनकी बलिखाफ वादीगण निर्णित की जाती है।

तनकी न0 3 व 4:- प्रतिवादीगण के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही होने एवं किसी भी प्रकार का साक्ष्य सबूत प्रस्तुत नही करने से तनकी न0 3 व 4 बखिलाफ प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

आदेश

अतः वादीगण का यह दावा बावत इस्तकरारहक एवं स्थायी निषेधाज्ञा पर्याप्त साक्ष्य सबूत के अभाव मे खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 22.10.2019 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

22/10/19

(दुर्गा प्रसाद मीना)
उपजिला कलक्टर
उप. जिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)
टोडाभीम जिला करौली

Scanned by CamScanner